राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509–220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509–220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS COPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"MINI RATNA" Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

क्रमॉंक के०रा०फा०/सूरत/उद्यान/02/2020–21 दिनॉंक: 19.03.2020

–: निविदा–सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के विषिष्ट संतति उद्यान खण्ड संख्या–3 (भगवानसर बस अड्डे के पास) के उद्यान में निम्न कार्यों हेतु वर्ष 2020–21 के लिए खुली बोली का आयोजन दिनॉंक **13.04.2020** को फार्म मुख्यालय में सॉंय 3.00 बजे किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति नियत धरोहर राषि फार्म के खजॉंची के पास बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाकर बोली में भाग ले सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट **"राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", सूरतगढ** के नाम देय हो। बिना धरोहर राशि जमा किये कोई भी बोलीदाता बोली में भाग नहीं ले सकता है।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	वर्ष 2020–21 में कार्य की अनुमानित मात्रा	धरोहर राषि र में
1.	बाग/नर्सरी की सिंचाई का कार्य	120 एकड़ क्षेत्रफल में वर्ष में लगभग 10 बार सिंचाई।	2000/–
2.	बाग के फलदार पौधों/नर्सरी में फार्म ट्रैक्टर द्वारा कीटनाषक/फफूँद नाषक दवाओं का छिड़काव	300 टैंकर (टैंक की क्षमता लगभग 400 लीटर)।	1000/–

कार्यों की नियम व शर्तें बोली के दिन बोली से पूर्व पढ़कर सुना दी जावेगी। विस्तृत जानकारी हेतु निम्न अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509–220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509–220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS COPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"MINI RATNA" Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

क्रमाँक के०रा०फा० / सूरत / उद्यान / 02 / 2020–21 दिनाँकः 19.03.2020

बाग में फार्म ट्रैक्टर द्वारा कीटनाषक / फफूँदनाशक दवाओं के छिड़काव हेतु नियम व शर्तेः–

1. बोली में सम्मिलित होने हेतु र 1000 / – (रुपये एक हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट फार्म खजाँची के पास जमा करवाना होगा जो कि "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", सूरतगढ़ के नाम से देय हो। असफल बोलीदाता की राशि चैक के द्वारा लौटा दी जाएगी तथा सफल बोलीदाता की राशि कार्य पूर्ण व सन्तोषजनक होने पर लौटा दी जाएगी जिस पर फार्म कोई ब्याज नहीं देगा।

2. फार्म ट्रैक्टर पर लगे हुए माउण्टेड स्प्रे (लगभग 400 लीटर क्षमता का टैंक) द्वारा टैंक में पानी भरकर दवा के घोल को टैंक में मिलाना तथा पौधों में दवा के घोल का छिड़काव करना जिसमें कि पौधा पूर्णतया भीगना चाहिए।

3. ठेकेदार को श्रमिकों का भुगतान स्वयं करना होगा।

4. कार्य अधूरा छोड़ने पर यह कार्य दूसरे ठेकेदार से करा लिया जायेगा। अगर इस पर फार्म को कोई हानि होती है तो यह राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी। साथ ही धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी एवं किये गए कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।

5. ठेकेदार एवं उसके श्रमिक फार्म की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचायेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से कर ली जाएगी।

6. कार्य करते समय अगर कोई जान–माल की हानि होती है तो उसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को यह अधिकार होगा कि वह बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।

8. किसी भी मतभेद की स्थिति में फार्म निदेषक का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

9. किये गए कार्य का भुगतान बिल द्वारा कम से कम 100 टैंकर स्प्रे पूर्ण होने एवं सन्तोषजनक होने पर कर दिया जायेगा। ठेकेदार को अपने पैन कार्ड की एक छाया–प्रति लेखा अनुभाग में जमा करवानी होगी।

10. कार्य के दर की वैद्यता 31, मार्च 2021 तक होगी।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509–220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509–220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS COPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"MINI RATNA" Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

क्रमाँक के०रा०फा०/सूरत/उद्यान/02/2020–21 दिनाँकः 19.03.2020

बाग/नर्सरी में सिंचाई कार्य हेतु नियम व शर्तेः–

1

बोली में सम्मिलित होने हेतु र 2000/– (रुपये दो हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट फार्म खजाँची के पास जमा करवाना होगा जो कि "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", सूरतगढ़ के नाम से देय हो। असफल बोलीदाता की राशि चैक के द्वारा लौटा दी जाएगी तथा सफल बोलीदाता की राशि कार्य पूर्ण व सन्तोषजनक होने पर लौटा दी जाएगी जिस पर फार्म कोई ब्याज नहीं देगा।

2. ठेकेदार को बाग/नर्सरी की सिंचाई करते समय इस बात का ख्याल रखना होगा कि सभी पौधों व क्यारियों में पानी पहुँचना चाहिए एवं अनावश्यक पानी भी नहीं भरना चाहिए।

3. ठेकेदार को कार्य हेतु सभी औजार स्वयं लाने होंगे।

4. ठेकेदार को श्रमिकों का भुगतान स्वयं करना होगा।

5. कार्य अधूरा छोड़ने पर यह कार्य दूसरे ठेकेदार से करा लिया जायेगा। अगर इस पर फार्म को कोई हानि होती है तो यह राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी। साथ ही धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी एवं किये गए कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।

6. ठेकेदार एवं उसके श्रमिक फार्म की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचायेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से कर ली जाएगी।

7. कार्य करते समय अगर कोई जान–माल की हानि होती है तो उसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

8. निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को यह अधिकार होगा कि वह बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।

9. किसी भी मतभेद की स्थिति में फार्म निदेषक का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

10. किये गए कार्य का भुगतान बिल द्वारा कार्य पूर्ण एवं सन्तोषजनक होने पर कर दिया जायेगा। ठेकेदार को अपने पैन कार्ड की एक छाया–प्रति लेखा अनुभाग में जमा करवानी होगी।

11. कार्य के दर की वैद्यता 31, मार्च 2021 तक होगी।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक .